

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक - 3717/27-4

फतेहपुर,

दिनांक - 12/04/2023

सेवा में,

चीफ रीजनल मैनेजर,
कानपुर रिटेल रिजनल ऑफिस,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० कानपुर।

विषय :- फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 (कानपुर-प्रयागराज मार्ग)(Old NH-2) के किमी. स्टोन संख्या 538 (चैनेज-537.955) दांयी पटरी ग्राम-बरौरा, तहसील-बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर की गाटा संख्या 1880 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.1106 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र संख्या - 8बी/यू.पी./06/265/2022/एफ.सी./7 दिनांक 05.04.2023, एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 3223/11-सी दिनांक 06.04.2023

विषयार्थित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 17 बिन्दुओं के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है।

अतः जारी की गई समस्त बिन्दुओं का अनुपालन पूर्ण करते हुये अनुपालन आख्या ऑन लाइन अपलोड कर आख्या की प्रति एवं वांछित वचन बद्धता प्रमाण पत्र मय संलग्नक के पांच प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। -

- 1- Legal Status of the forest land shall remain unchanged.
- 2- Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 222 trees on 0.33 ha in Budhvan-Barkatpur_allipur_Bhadar Road Km. 11.00 to 12.00 L.H.S., Khaga Range, District-Fatehpur at the cost RS. 113703.00 Of the User Agency. As for as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species had to be avoided.
- 3- The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per revised compensatory afforestation for plantation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited 113703.00 in advance with Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years.
- 4- The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) Rs. 105931.00 for the 0.1106 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Humble Supreme Court of India date 30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 and 09-05-2008 in IA No. 566 in WP(c) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC date 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.
Revised amount of NPV as Applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.
- 5- Additional amount of NPV of diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User shall furnish an undertaking to this effect.

- 6- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
- 7- No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.
- 8- Greenery will be maintained by user agency around Periphery of petrol pump.
- 9- User agency shall use the land between entry and exit of petrol pump and Conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.
- 10- Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.
- 11- Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.
- 12- The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
- 13- The Period of diversion under this approval shall be co-terminus with period of lease to be granted in favor of user agency or the project life, whichever is less.
- 14- The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed catchment area treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-green watch portal with all the requisite details, commencement of works.
- 15- Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.
- 16- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in>).
- 17- The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

संलग्नक :-

1. बिन्दु संख्या 02 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि का आगणन।
2. बिन्दु संख्या 04 के क्रम में NPV (शुद्ध वर्तमान मूल्य) की धनराशि का आगणन।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के उपरोक्त संदर्भित पत्र।

(रामानुज त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर





भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ



Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024. Telefax-2326696
Email: roez.lko-mef@nic.in

पत्र सं०: 8बी/यूपी०/०६/२६५/२०२२/एफ.सी. 17

दिनांक: 05.04.2023

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Approach/153915/2022

विषय: जनपद-फतेहपुर के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-19 (कानपुर-प्रयागराज) (Old NH-2) के किमी० स्टोन सं०-538 (चैनैज-537.955), गाटा सं०-1880 के बांयी पटरी पर ग्राम-बरौरा, तहसील-बिन्दकी में प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.1106 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक 2965/11-सी-FP/UP/Approach 153915/2022, दिनांक 16.03.2023।

महोदय

उपरोक्त विषयक सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक पी-301/81-2-2020-800(293)/2022, दिनांक 08.09.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विप्रांशित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त भुजों आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद-फतेहपुर के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-19 (कानपुर-प्रयागराज) (Old NH-2) के किमी० स्टोन सं०-538 (चैनैज-537.955), गाटा सं०-1880 के बांयी पटरी पर ग्राम-बरौरा, तहसील-बिन्दकी में प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.1106 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 222 trees on 0.33 ha in Budhyan-Barkatpur-Allipur-Bhadar Road km. 11.00 to 12.00 LHS, Khaga Range, District Fatehpur at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.1106 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in LA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.

Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.

5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

6. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
7. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.
8. Greenery will be maintained by user agency around Periphery of CNG Filling Station.
9. User agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.
10. Plantation shall also be done along the inside boundary of CNG Filling Station.
11. Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.
12. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
13. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
14. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.
15. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
16. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in>).
17. The compliance report shall be uploaded on e-portal <https://parivesh.nic.in>.

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भारतीय,

(डॉ० प्राची रंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, प्रयागराज।
4. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, फतेहपुर।
5. चीफ रीजनल मैनेजर, कानपुर रिटेल रीजनल ऑफिस, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, कानपुर।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक— 3223 /11-सी-FP/UP/Approach/153915/2022, लखनऊ, दिनांक: अप्रैल 06, 2023

प्रतिलिपि:— वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:— प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, फतेहपुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के कम में, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 14.06.2017 के अनुपालन के क्रम में, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु स्थलीय जाँच करते हुये सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र/उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:— चीफ रीजनल मैनेजर, कानपुर रिटेल रीजनल ऑफिस, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये भारत सरकार के निर्देशानुसार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

18
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की धनराशि की गणना

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में एन.एच.-19 (पुराना एन.एच.-2) मार्ग के किमी०-538 चैनज 537.955 के दायी पटरी पर, गाटा न० 1880, ग्राम- बरौरा, तहसील- बिन्दकी, जिला- फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण में प्रभावित सरक्षित वन भूमि 0.05105 हे० की शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना निम्न है -

1. प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल	0.1106 हे०
2. प्रभावित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व	0.3
3. उपरोक्त इको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व वाले वन भूमि का शुद्ध वर्तमान दर	रु० 9,57,780 प्रति हेक्टेयर
4. प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य	$0.1106 \times 957780 = 105930.47$ या 105931.00 रु०

(रु० एक लाख पांच हजार नौ सौ इकतीस रूपए मात्र)

उपरोक्त धनराशि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० द्वारा देय होगी, तथा भविष्य में यदि उक्त दर में कोई बढ़ोतरी होगी तो तदनुसार धनराशि देय होगी।

प्रभावित भूमि के अधिकारी
सामाजिक विकास की योजना, फतेहपुर
फतेहपुर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०
कानपुर (रिटेल) टेरिटरी
SIDDHARTH JAIN
Chief Executive Manager
Kansai Special Industrial Zone
Hindustan Petroleum Corporation Limited

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आवश्यक धनराशि

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 (कानपुर-प्रयागराज मार्ग) (पुराना एन.एच.-2) के किमी० संख्या-538 (चैनेज-537.955) बांयी पटरी पर गाटा संख्या-1880 ग्राम-बरौरा, ताहसील-बिन्दकी, जिला-फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.1106 हे० के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि का आगणन, जिसमें कंजी, नीम, अर्जुन, प्रासोपिस आदि पौधों का रोपण प्रस्तावित है।

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु (प्रथम व द्वितीय वर्ष) अग्रिम मृदा व वृक्षारोपण कार्य मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी उ०प्र० के पत्र 223/15-1(सिलिंग दर) दिनांक 14.08.2017 द्वारा जारी सिलिंग दर के अनुसार तथा (तृतीय वर्ष से द्वादशम वर्ष तक) अनुरक्षण प्रथम वर्ष से अनुरक्षण दशम वर्ष तक मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ०प्र० कैम्पा के पत्रांक 403 दिनांक 14 सितम्बर द्वारा जारी सिलिंग दर के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया गया है जो निम्नानुसार प्रस्तुत है -

रोपित पौधों की संख्या - 222

श्रम दर - ₹ 201.00

क्र०सं०	वर्ष	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (₹ 00 में) श्रम दर ₹ 175.00 प्रति मानव दिवस के अनुसार	श्रम दर में 14.88 प्रतिशत वृद्धि के परवत दर (₹ 00 में)	तृतीय वर्ष एवं आगामी वर्षों में 10 प्रतिशत वृद्धि के परवत दर (₹ 00 में)	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	प्रति हे०	0.325	55900.00	64207.00	0.00	20880.12
2	द्वितीय वर्ष	वृक्षारोपण कार्य	प्रति हे०	0.325	110630.00	127070.00	0.00	41323.16
3	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.325	39350.00	45197.00	49717.00	16167.97
4	चतुर्थ वर्ष	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.325	31052.00	35666.00	39233.00	12758.57
5	पंचम वर्ष	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.325	17320.00	19894.00	21883.00	7116.35
6	षष्ठम वर्ष	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.325	5829.00	6695.00	7365.00	2395.10
7	सप्तम वर्ष	पंचम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.325	5829.00	6695.00	7365.00	2395.10
8	अष्टम वर्ष	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.325	5192.00	5964.00	6560.00	2133.31
9	नवम वर्ष	सप्तम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.325	5192.00	5964.00	6560.00	2133.31
10	दशम वर्ष	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.325	5192.00	5964.00	6560.00	2133.31
11	एकादशम वर्ष	नवम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.325	5192.00	5964.00	6560.00	2133.31
12	द्वादशम वर्ष	दशम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.325	5192.00	5964.00	6560.00	2133.31
योग								113702.93
अर्थात्								113703.00

नोट :- तृतीय वर्ष (अनुरक्ष प्रथम वर्ष से) द्वादशम वर्ष (अनुरक्षण दशम वर्ष) तक की धनराशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है।

(रामानुज त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग

फतेहपुर